रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 1984/ज्येष्ठ 29, 1906
No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1984/JYAISTHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून 1984

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू० 13/84

फा० सं० 600/1201-1202/84-प्र० अ० :— सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी, नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू० 1, तारीख 16 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधित करती है :—

(1) उपक्रमांक 1201 तथा 1202 के सामने "माल का विवरण" के स्तम्भ में निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

उपक्रमांक	निम्नलिखित विवरण के स्थान पर	निम्नलिखित विवरण पढ़ें
1	2	3
1201.	औषध-द्रव्य, औषध मध्यवर्ती तथा औषध उत्पादन, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों।	औषध-द्रव्य तथा औषध उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों।
1202.	औषध-द्रव्य, औषध मध्यवर्ती तथा औषध उत्पाद, जो अन्यथाविनिर्दिष्ट नहीं हों ।	औषध-द्रव्य तथा औषध उत्पाद, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों।

यह सार्वजनिक सूचना दिनांक 1 जून 1984 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी ;

जे० गोपीनाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INDIRECT TAXES DIVISION)

New Delhi, the 19th June, 1984

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN 13/84

F.No 600/1201-1202/84-DBK :— Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70 DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Public Notice No. DRAWBACK-PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time

(1) In column 'Description' against sub-serial No. 1201 & 1202 the following description shall be substituted, namely :—

S. No.	For Description	Read Description
1	2	3
1201	Drugs, Drug Intermediates and Pharmaceuticals products, not elsewhere specified	Drugs and Pharmaceutical products not elsewhere specified.

1	2	3
1202	Drugs, Drugs Intermediates and pharmaceutical products, not otherwise specified.	Drugs and pharmaceutical products not otherwise specified.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st June, 1984

J. GOPINATH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PU LICATIONS, DELHI-110054, 1984